कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60567/केमासिबो./2019–20 दिनांकः–27.03.19

(1) सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केंन्द्र–2 सामुदायिक केन्द्र
प्रीत विहार, दिल्ली–1100092

विषय :– सत्र 2019–20 हेतु सीबीएसई., नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

राज्य सरकार के पत्रांक प.14(8)शिक्षा/2009 पार्ट–7 जयपुर दिनांक 27.03.2019 की पालना में निम्न गैर सरकारी विधालय श्री सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय रणजीत नगर, भरतपुर के प्रकरण में शासन स्तरीय कमेटी द्वारा गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जाकर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एसबी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 5584/2017, एसबी. सिविल रिट पिटीशन नंबर 8621/2017, एसबी.सिविल Mise stay Application नंबर 7775/2017 एवं इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एसबी. सिविल रिट नंबर 1249/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2019 के अनुसरण में उक्त रिटों में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए विद्यालय को उसके नाम के सम्मुख सत्र एवं माध्यम के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संम्बद्धता प्राप्ति हेतु निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन उपरोक्त वर्णित याचिकाओं में अन्तिम निर्णय संस्था के प्रतिकूल पारित होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।
2. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2019–20 के लिये ही मान्य होगा।
3. विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेंगी।
4. विद्यालय/संस्था द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी।
5. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बाल वाहिनी के क्रम में जारी किये गये दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावेंगी।
6. विद्यालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 09 के अनुसरण में समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों/नियमों की अक्षरशः पालना की जाएगी।
7. विद्यालय/संस्था परिसर में मोबाईल टॉवर स्थापित नही करेगी।
8. राजस्थान विद्यालय फीस का विनियमन अधिनियम–2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तो की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय–समय पर विभाग एवं शासन द्वारा वांछित रिकोर्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होगें।

Scanned by CamScanner

10. विद्यालय में दिव्यांग जनो के लिये रेम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करवायी जायेगी।
11. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जावेगी।
12. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण/उपयोग राजकीय कार्य के लिये किया जा सकेगा।
13. न्यायालय द्वारा संस्था के प्रतिकूल निर्णय पारित किये जाने पर विद्यालय में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों के सतत् अध्यापन संबंधित समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी।

उपरोक्त शर्तो की पालना नही किये जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम–1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालयों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए विद्यालयों को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद् कर दिया जायेगा। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नही कर सकेगी।

क.सं.	विद्यालय का नाम	सम्बद्धता (CBSE /CISCE)	NOC देने का सत्र	माध्यम
1	श्री सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय रणजीत नगर, भरतपुर	CBSE	2019–20	हिन्दी

Note:- The section and its records shall be opened for inspection by an officer/official of the board or an authorized representative of the Board/state educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the board/state Government from time to time.

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, राज0 सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज0 सरकार, जयपुर।
4. निजी सहायक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
5. उपशासन सचिव–प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा भरतपुर।
10. संबंधित विद्यालय श्री सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय रणजीत नगर, भरतपुर।

निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner